



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271717
CG-DL-E-10042026-271717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 242]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 262(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 226(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

(i) पृष्ठ संख्या 19 पर, प्ररूप आईटीआर-1 में, अनुसूची-आईटी के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची-आईटी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

अनुसूची-आईटी में अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर भुगतानों का विवरण शामिल है।																			
बीएसआर कोड					जमा करने की तारीख					चालान का क्रमांक					कर भुगतान				
कॉलम(1)					कॉलम(2)					कॉलम(3)					कॉलम(4)				
आर																			
1																			
आर																			
2																			

- (ii) पृष्ठ संख्या 21 पर, प्ररूप आईटीआर-4 में, भाग ख (सकल कुल आय) में, अनुसूची वेतन के अंतर्गत, पंक्ति ख2 में, उप-पंक्ति (ii) के बाद, उप-पंक्ति (ii) को उप-पंक्ति (iii) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;
- (iii) पृष्ठ संख्या 21 पर, प्ररूप आईटीआर-4 में, भाग ख में, पंक्ति ख2 में, उप-पंक्ति (iv) में, मद-क में, अक्षरों "Ivक" के स्थान पर, अक्षर "ivक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 57/2026/फा. सं. 370142/5/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 262(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 226(E), dated 30th March, 2026:—

(i) at page number 19, in Form ITR-1, for Schedule-IT, the following schedule-IT shall be substituted, namely,—

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments																				
	BSR Code					Date of Deposit					Serial Number of Challan					Tax paid				
	Col(1)					Col(2)					Col(3)					Col(4)				
R1																				
R2																				

(ii) at page number 21, in Form ITR-4, in Part B (Gross Total Income), under Schedule Salary, in row B2, after sub-row (ii), sub-row (ii) shall be renumbered as sub-row (iii);

(iii) at page number 21, in Form ITR-4, in Part B, in row B2, in sub-row (iv), in item-a, for the letters “Iva”, the letters “iva” shall be substituted.

[Notification No. 57/2026/F. No. 370142/5/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271714
CG-DL-E-10042026-271714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 244]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 264(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 228(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- पृष्ठ संख्या 104 पर, अनुसूची सीजी में, भाग-ख में, पंक्ति 9 में, उप-पंक्ति क(iii) में, शब्द और अक्षर "i. कुल (ig+ii)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "कुल (ig+ ii)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पृष्ठ संख्या 106 पर, अनुसूची सीजी के भाग ई में, "ख13क" शब्द और अक्षर "ख12क" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पृष्ठ संख्या 113 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 10(3ख) में, कॉलम "15/6 तक" और "16/6 से 15/9 तक" के अंतर्गत रिक्त सेल का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 59/2026/फा. सं. 370142/7/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 264(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 228(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 104, in Schedule CG, in Part-B, in row 9, in sub-row a(iii), for the words and letters “i. Total (ic + ii)”, the words and letters “Total (ic + ii)” shall be substituted;
- (ii) at page number 106, in Schedule CG, in Part E, the words and letters “B13a” shall be substituted “B12a”;
- (iii) at page number 113, in schedule OS, in row 10(3b), grey colour of the blank cells under column “upto 15/6” and “from 16/6 to 15/9” shall be removed.

[Notification No. 59/2026/F. No. 370142/7/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271713
CG-DL-E-10042026-271713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 243]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 263(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 227(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- (i) पृष्ठ संख्या 46 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति ख(5)(ड.) में, अंक और अक्षर "6ग-6घ" के स्थान पर अंक और अक्षर "5ग-5घ" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) पृष्ठ संख्या 49 पर, अनुसूची-सीजी में, पंक्ति ई के हाशिये शीर्षक में, शब्द और अंक "ख12क" को शब्द और अंक "ख11क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) पृष्ठ संख्या 50 पर, अनुसूची-सीजी में, तालिका च में रिक्त कक्षों का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा;

- (iv) पृष्ठ संख्या 50 पर, अनुसूची-112क में, स्तंभ (1ख) को हटा दिया जाएगा;
- (v) पृष्ठ संख्या 51 पर, अनुसूची-115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक में, स्तंभ (1ख) को हटाया जा सकता है;
- (vi) पृष्ठ संख्या 53 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 2(घ) में, "घxx" शब्दों के स्थान पर "घxxi" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) पृष्ठ संख्या 55 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 10(3ख) में, कॉलम "15/6 तक" और "16/6 से 15/9 तक" के अंतर्गत रिक्त कोष्ठों का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा;
- (viii) पृष्ठ संख्या 58 पर, अनुसूची सीएफएल में, पंक्ति 11 पर, अंकों और अक्षरों "2xv" के स्थान पर, अंक और अक्षर "2xiv" प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं;
- (ix) पृष्ठ संख्या 68 पर, भाग ख-टीआई के, पंक्ति 11 पर, अक्षर "w" के स्थान पर अक्षर "v" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 58/2026/फा. सं. 370142/6/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 263(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 227(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 46, in row B(5)(e) of schedule CG, for figures and letters “6c – 6d”, figures and letters “5c – 5d” shall be substituted;
- (ii) at page number 49, in schedule-CG, in marginal heading of row E, words and figures “B12a” shall be substituted by words and figures “B11a”;
- (iii) at page number 50, in schedule-CG, in table F grey colour of the blank cells shall be removed;
- (iv) at page number 50, in schedule-112A, column (1b) shall be omitted;
- (v) at page number 51, in schedule-115AD(1)(b)(iii) proviso, column (1b) shall be omitted;
- (vi) at page number 53, in schedule OS, in row 2(d), for the words “dxx”, the words “dxxi” shall be substituted;
- (vii) at page number 55, in schedule OS, in row 10(3b), grey colour of the blank cells under column “upto 15/6” and “from 16/6 to 15/9” shall be removed;
- (viii) at page number 58, row xi of schedule CFL, for the figures and letters “2xv”, figures and letters “2xiv” shall be substituted;
- (ix) at page number 68, row 11 of part B-TI, for the letter “w”, letter “v” shall be substituted;

[Notification No. 58/2026/F. No. 370142/6/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271704
CG-DL-E-10042026-271704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 247]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 267(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 231(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- पृष्ठ संख्या 52 पर, अनुसूची-1 में, पंक्ति 2024-25 के स्तंभ (14) और (15) के अंतर्गत ग्रे रंग वाले कक्षों को पंक्ति 2025-26 के स्तंभ (14) और (15) के अंतर्गत रिक्त कक्षों से बदल दिया जाएगा।
- पृष्ठ संख्या 64 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति मद क(4)(क)(i) और पंक्ति मद क(4)(क)(ii) को हटा दिया जाएगा;
- पृष्ठ संख्या 65 पर, अनुसूची सीजी के, पंक्ति क के अंतर्गत, उप-पंक्ति (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

8	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि का हस्तांतरण, (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क + क 8क + क8ग)	क 8
---	--	-----

- (iv) पृष्ठ संख्या 68 पर, अनुसूची-सीजी में, पंक्ति ख9 के अंतर्गत, एक उप-पंक्ति 'क' को हटा दिया जाएगा।
- (v) पृष्ठ संख्या 70 पर, अनुसूची-सीजी में, पंक्ति ई में, अक्षर और अंक "ख12क" को "ख11क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) पृष्ठ संख्या 74 पर, अनुसूची ओएस में, पंक्ति 10(3ख) में, कॉलम "15/6 तक" और "16/6 से 15/9 तक" के अंतर्गत रिक्त कोष्ठों का ग्रे रंग हटा दिया जाएगा।
- (vii) पृष्ठ संख्या 78 पर, अनुसूची-सीवाईएलए में, क्रमांक xiv में, (4) के अंतर्गत ग्रे कोष्ठों को स्तंभ (5) के अंतर्गत रिक्त कोष्ठों से बदल दिया जाएगा;
- (viii) पृष्ठ संख्या 87 पर, भाग ख-टीआई में, भाग ख1 में, पंक्ति 12 में, अंकों और अक्षरों "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)" के स्थान पर अंक और अक्षर "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ix) पृष्ठ संख्या 89 पर, भाग ख -टीआई में, भाग ख3 में, पंक्ति 8 में, अंकों और अक्षरों "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)" के स्थान पर अंक और अक्षर "(अनुसूची सीवाईएलए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 62/2026/फा. सं. 370142/10/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 10th April, 2026
INCOME-TAX

G.S.R. 267(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 231(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 52, in schedule-I, greyed cells under column (14) and (15) of row 2024-25 shall be interchanged with blanks cells under column (14) and (15) in row 2025-26;
- (ii) at page number 64, in schedule CG, row item A(4)(a)(i) and row item A(4)(a)(ii) shall be omitted;
- (iii) at page number 65, in schedule CG, under row A, for sub-row (8), the following sub-row shall be inserted, namely,—

8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)	A8
---	---	----

- (iv) at page number 68, in schedule-CG, under row B9, one sub-row 'a' shall be deleted;
- (v) at page number 70, in schedule-CG, in row E, letters and figures "B12a" shall be substituted with "B11a";

- (vi) at page number 74, in schedule OS, in row 10(3b), grey colour of the blank cells under column “upto 15/6” and “from 16/6 to 15/9” shall be removed;
- (vii) at page number 78, in schedule-CYLA, in Sl. No. xiv, greyed cells under (4) shall be interchanged with blank cells under column (5);
- (viii) at page number 87, in Part B-TI, in part B1, in row 12, for the figures and letters “(total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)”, the figures and letters “(total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)” shall be substituted;
- (ix) at page number 89, in Part B-TI, in part B3, in row 8, for the figures and letters “(total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule CYLA)”, the figures and letters “(total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)” shall be substituted.

[Notification No. 62/2026/F. No. 370142/10/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271701
CG-DL-E-10042026-271701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 246]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 266(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 230(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- (i) पृष्ठ संख्या 100 पर, भाग क-बीएस में, स्तंभ 1 के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर शीर्षक में, "क्विटी" शब्द के स्थान पर "इक्विटी" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) पृष्ठ संख्या 111 पर, भाग क-पी एवं एल के, पंक्ति 15 के बाद, "घड." शब्द के स्थान पर अंक "16" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (iii) पृष्ठ संख्या 125 पर, अनुसूची बीपी में, पंक्ति 37 में, अंक और अक्षर "36 + 36x" को अंक और अक्षर "35 + 36x" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) पृष्ठ संख्या 131 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति क के अंतर्गत, उप-पंक्ति (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

8.	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि का हस्तांतरण, (अनुसूची पीटीआई भरे) (क8क + क8ख + क8ग)	क8
----	---	----

- (v) पृष्ठ संख्या 132 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति मद ख(4)(i) और पंक्ति मद ख(4)(ii) को हटा दिया जाएगा;
- (vi) पृष्ठ संख्या 134 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति ख(क) में, शब्द और अंक "क्रम संख्या Iकाii" को शब्द और अंक "क्रम संख्या Iकाiii" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) पृष्ठ संख्या 135 पर, अनुसूची सीजी के, भाग ई में, शब्द और अक्षर "ख12क" को शब्द और अक्षरों "ख11क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) पृष्ठ संख्या 136 पर, अनुसूची-112क में, स्तंभ (1ख) को हटा दिया जाएगा;
- (ix) पृष्ठ संख्या 136 पर, अनुसूची-115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक में, स्तंभ (1ख) को हटा दिया जाएगा;
- (x) पृष्ठ संख्या 143 पर, अनुसूची यूडी में, पंक्ति iv में, स्तंभ (4) और (7) के अंतर्गत, अंकों और अक्षरों "(बीएफएलए का 3xvi)" और "(बीएफएलए का 4xvi)" के स्थान पर, अंक और अक्षर "(बीएफएलए का 3xv)" और "(बीएफएलए का 4xv)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) पृष्ठ संख्या 152 पर, अनुसूची एमएटीसी में, पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर, अक्षर "xviii" को "xvii" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[अधिसूचना सं. 61/2026/फा. सं. 370142/9/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 266(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 230(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 100, in Part A – BS, in vertical heading under column 1, the word “QUITY” shall be substituted by word “EQUITY”;
- (ii) at page number 111, in Part A – P & L, after row 15, the words “DE” shall be substituted by figures “16”;
- (iii) at page number 125, in schedule BP, in row 37, figures and letter “36 + 36x” shall be substituted with figures and letter “35 + 36x”;
- (iv) at page number 131, in schedule CG, under row A, for sub-row (8), the following sub-row shall be inserted, namely,—

8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (<i>Fill up schedule PTI</i>) (<i>A8a + A8b + A8c</i>)	A8
---	---	----

- (v) at page number 132, in schedule CG, row item B(4)(i) and row item B(4)(ii) shall be omitted;
- (vi) at page number 134, in schedule CG, in row B(A), words and figures “sl. no. 1aii”, shall be substituted with words and figures “sl. no. 1aiii”;
- (vii) at page number 135, in Schedule CG, in Part E, the words and letters “B12a” shall be substituted with words and letters “B11a”;
- (viii) at page number 136, in schedule-112A, column (1b) shall be omitted;
- (ix) at page number 136, in schedule-115AD(1)(b)(iii) proviso, column (1b) shall be omitted;
- (x) at page number 143, in Schedule UD, in row iv, under the column (4) and (7), for the figures and letters “(3xvi of BFLA)” and “(4xvi of BFLA)”, the figures and letters “(3xv of BFLA)” and “(4xv of BFLA)” shall be substituted;
- (xi) at page number 152, in schedule MATC, for row 5 and 6, letters “xviii” shall be substituted with “xvii”.

[Notification No. 61/2026/F. No. 370142/9/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271700
CG-DL-E-10042026-271700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 245]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 265(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 229(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- पृष्ठ संख्या 107 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति क8 में, शब्द और अक्षर "(क8क क8ख+ क8ग)" के स्थान पर शब्द "(क8क + क8ख + क8ग)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पृष्ठ संख्या 119 पर, अनुसूची यूडी में, पंक्ति v में, स्तंभ (4) और (5) के अंतर्गत, अंकों और अक्षरों "(बीएफएलए का 3xvi)" और "(बीएफएलए का 4xvi)" के स्थान पर, अंक और अक्षर "(बीएफएलए का 3xv)" और "(बीएफएलए का 4xv)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 60/2026/फा. सं. 370142/8/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 265(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 229(E), dated 30th March, 2026:—

- (i) at page number 107, in Schedule CG, in row A8, for the words and letters “(A8a A8b + A8c)”, the words “(A8a + A8b + A8c)” shall be substituted;
- (ii) at page number 119, in Schedule UD, in row v, under the column (4) and (5), for the figures and letters “(3xvi of BFLA)” and “(4xvi of BFLA)”, the figures and letters “(3xv of BFLA)” and “(4xv of BFLA)” shall be substituted.

[Notification No. 60/2026/F. No. 370142/8/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271699
CG-DL-E-10042026-271699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 248]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 268(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 233(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

(i) पृष्ठ संख्या 5 पर, भाग क सामान्य सूचना में, पंक्ति (क10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, "लाभ की सही रिपोर्टिंग नहीं की गई (हानि में कमी के मामले में)" शब्दों के बाद एक अलग पंक्ति में "आय के गलत मदों का चयन किया गया" शब्द लिखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 63/2026/फा. सं. 370142/13/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 268(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 233(E), dated 30th March, 2026:—

(i) at page number 5, in Part A General Information, in row (A10) and the entries relating thereto, the words “Wrong heads of income chosen” shall be placed in a separate line following the words “Loss not reported correctly (In case of reduction of loss)”.

[Notification No. 63/2026/F. No. 370142/13/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.